बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-प्र08गो0आ0खगड़िया-25/12 /खाद्य,पटना/दिनांक

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री सुशील मरांडी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के विरूद्ध श्री पुनीत यादव एवं अन्य द्वारा प्रदत्त परिवाद की जाँच श्री सत्य प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा सम्पादित किया गया एवं जॉचोपरान्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बिहार राशन कूपन योजना 2006 एवं बिहार किरासन कूपन योजना 2006 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने, अपने कार्यालय में जन शिकायत पंजी का संधारण नहीं करने एवं सरकार द्वारा निधारित माप-दण्ड के अनुरूप मासिक निरीक्षण/जॉच नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित होने के कारण उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9(1)(क) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. निलंबन अवधि में श्री मरांडी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य दर पर जीवन निवार्ह भत्ता देय होगा ।

3. निलंबन अवधि में इनका जिला आपूर्ति कार्यालय, खगड़िया में मुख्यालय रहेगा ।

4. श्री मरांडी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु ज्ञाप अलग से निर्गत किया जायेगा ।

ह0/-

(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0खगडिया-25/12 2895 /खाद्य,पटना/दिनांक 10/5/2012

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया/प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल काजमी, आई0टी0 प्रबन्धक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं श्री सुशील मरांडी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया (निलम्बन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, खगड़िया में मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/5/012

सरकार के संयुक्त सचिव ।